

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓
मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

विषय:- गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड परियोजना) के निर्माण हेतु 14.018 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 2633 वृक्षों व 7884 पौधों के पातन, 1.035 हे० संरक्षित वन भूमि व उस पर अवस्थित 127 वृक्षों व 287 पौधों के पातन कुल 15.053 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 10931 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-1264/गाजियाबाद/10947/2015, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड परियोजना) के निर्माण हेतु 14.018 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 2633 वृक्षों व 7884 पौधों के पातन, 1.035 हे० संरक्षित वन भूमि व उस पर अवस्थित 127 वृक्षों व 287 पौधों के पातन कुल 15.053 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 10931 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूँकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2- अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,



(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या-पी-194 (1) / 14-2-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
- 3- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 4- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।
- 5- परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई० पी०आई० गाजियाबाद।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।